Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर CNR NUMBER ....

Number of Case .... P/198 / .... Year 2023

खुशाल सिंह व अन्य .... Versus .... बीजराज व अन्य

अन्तर्गत धारा - 188 (R.T.A - 1955)

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रति· साक्ष्य पेश करने हेतु कोई अवसर नहीं दिया गया है। प्रति· साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 05/06/24 को पेश हो। अधि· वादी उप·। अधि· प्रति· अनु·। Pesinkar सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) जोधपुर	
05/06/24 पत्रावली पेश। अधि· वादी उप·। लंबे समय से प्रति· की ओर से court proceedings में भाग नहीं लिया जा रहा है, साक्ष्य प्रति· बंद किया जाता है। वास्ते अंतिम बहस पत्रावली दिनांक 21/06/24 को पेश हो। Pesinkar सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) जोधपुर	
21/06/24 पत्रावली पेश। अधि· वादी उप·। एकपक्षीय बहस सुनी गई। मुताबिक बहस अधि· वादी - " ग्राम चावंडा ख· सं· 447, में वादी सं· 01, 02 का 1/2 हि·, ख· सं· 449 में वादी सं· 01 के परिवार की सह-खातेदारी, ख· सं· 448 में वादी से 02 के परिवार की सह- खातेदारी है। प्रति· की भूमि ख· सं· 444 में है। वादीगण की भूमि ख· सं· 447, 449 के चारों ओर कच्ची- पक्की boundary पूर्वजों के समय से है। प्रति· द्वारा लंबे समय से सीमा विवाद किया जा रहा है। अतः प्रति· को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे ख· सं· 447, 449 में दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें।"	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

CNR NUMBER

Number of Case P/198/ Year 2023

खुशाल सिंह व अन्य Versus बीजराज व अन्य

अन्तर्गत धारा - 188 (R.T.A - 1955)

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief n... o...
	उपरोक्त तथ्यों, बहस, शपथ-पत्र, दस्तावेजों के आधार पर वाद का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- " As per Section 188 of Raj. Tenancy Act - Any tenant whose right to enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by any person, may bring a suit for the grant of permanent injunctions प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार ख. सं. 447 में भंवरसिंह S/o हीरसिंह वगैरह की खातेदारी है, ख. सं. 449 में खुशालसिंह S/o भैरुसिंह की खातेदारी है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि ख. सं. 447, 449 (वादीगण) एवं ख. सं. 444 का नियमानुसार सीमांकन करें। तहसीलदार, जोधपुर द्वारा किये गये सीमांकन अनुसार ख. सं. 447, 449 की भूमि के संबंध में प्रति. सं. 01 ता 07 को पाबंद किया जाता है (जरिए स्थाई निषेधाज्ञा) कि वे उपरोक्त भूमि में ना तो स्वयं दखलअंदाजी करें ना किसी अन्य से करावें।" आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो। Prinkar सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	